UPLK010169072023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2981/2023

सरकार बनाम रिंकू आलम उर्फ रिंकू इस्लाम आदि

अ0सं0 68/2023
धारा–376,493 भा0द0सं0
थाना–आलमबाग, लखनऊ।

19–06–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त रिंकू आलम उर्फ रिंकू इस्लाम जिला कारागार से एवं अभियुक्त पिन्टू उर्फ जुल्मिकार जमानत पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

पत्रावली में पी0डब्लू0–1 रजनी व पी0डब्लू0–2 पीड़िता का बयान हो चुका है। पीड़िता के बयान से यह स्पष्ट होता है कि उसने कहा है कि अभियुक्त रिनकू ने उसके साथ विवाह किया और उसे देह व्यापार में धकेल दिया और उसको जान से मारने के लिए हमला किया और अधमरा जान कर छोड़ दिया। पीड़िता वाल्मीकि है तथा अभियुक्त मुस्लिम है तथा दोनों का विवाह भिन्न संबंध से सम्पादित होने के कारण विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए, परंतु ऐसा कोई प्रमाण पत्र पत्रावली पर नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि अभियुक्त रिंकू उर्फ इस्लाम द्वारा पीड़िता का यौन शोषण किया गाय, उसके साथ बलात्कार किया और देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसी दशा में पूर्व में विरचित आरोप दिनांकित 25.07.2024 जिसमें 6 शीर्षक विरचित किये जा चुके है, 7वां व 8वां निम्न प्रकार से परिवर्धित करते हुए विरचित किया जाता हैः–

सप्तमः यह कि आपने वादिनी रजनी की पुत्री पीड़िता के साथ बिना विधि पूर्ण विवाह किये हुए तथा यह जानते हुए कि आप पीड़िता के पति नहीं है और उस पीड़िता ने समत्ति इसलिए दी, क्योंकि वह विश्वास करती है कि वह ऐसे पुरूष है, जिससे हव विधि पूर्व विवाहिता होने पर विश्वास करती है। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये, जो धारा 375 भा0दं0सं0 के अधीन परिभाषित बलात्संक में आते हुए भा0द0सं0 की धारा–376 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अष्टमःयह कि आपके द्वारा वादिनी रजनी की पुत्री पीड़िता से विधि पूर्ण रूप से विवाहित न होते हुए प्रवंचना से यह विश्वास दिलाते हुए कि वह पीड़िता से विधि पूर्ण स्ंग से विवाहित है, उस पीड़िता के साथ सहवास या मैथून

किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 493 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 19–06–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 19–06–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127